

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर जिला भीलवाडा

रामलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाट निवासी बावडी वगैरा

बनाम

संग्राम सिंह पिता शिवराज सिंह राजपूत निवासी बावडी वगैरा

मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल.आर.ए.

मुकदमा नं. 662/23

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज

नम्बर व तारी  
अहकाम जो  
हुक्म की तार्म  
में जारी हुये

1.06.23

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बावडी प.ह. बावडी की आराजी सं. 1191 रकबा 0.4532 है, आराजी सं. 1192 रकबा 0.4532 है. स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्इद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम बावडी प.ह. बावडी की आराजी सं. 1191 रकबा 0.4532 है, आराजी सं. 1192 रकबा 0.4532 है. भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*He*  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा


/रीडर/2023/667/2023

दिनांक :- 21.06.2023

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 667/2023 अनवान रामलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाट,  
चान्दमल पिता रामलाल जाट निवासी बावडी तहसील जहाजपुर बनाम  
संग्राम सिंह पिता शिवराज सिंह राजपूत , भारत सिंह पिता शिवराज  
सिंह राजपूत , बलदेव सिंह पिता भीम सिंह राजपूत , कैलाश कँवर  
पत्नि भँवर सिंह राजपूत निवासी बावडी तहसील जहाजपुर जिला  
भीलवाडा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बावडी प.ह. बावडी की  
आराजी सं. 1191 रकबा 0.4532 है , आराजी सं. 1192 रकबा 0.4532 है.भूमि की उभय  
पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक बावडी को  
कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं  
जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे।  
पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।  
पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)